समयबद्ध/आज ही

अनुरोधकर्ता को सूचना देने का प्रपत्र

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड

12-सुभाष रोड, देहरादून।

(दूरभाष सं0 0135-2712685, फैक्स नं0- 2712080, E.mail-dgc-police-ua@nic.in)

पत्रांकः-पु0मु0/लो0सू0-217/2017 दिनांकः-जुलाई 19 ,2017

सेवा में,

Shri Sushil Kambampati,
White Rann Content & Services,
ZKNB6DN9-UK 6th floor,
JMD Regent Square,
M G Road, Gurgaon-122 002 **(Regt. Post)**

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त आप अपने सूचना अनुरोध पत्र दिनांकः 26/06/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

आपके उक्त सूचना अनुरोध पत्र में मांगी गई पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून सम्बन्धी सूचनाओ के सम्बन्ध में बिन्दुवार अवगत करना है किः-

बिन्दु संख्याः 01- "Juvenile Justice(Care and Protection of Children)Act-2015" की धारा-77 का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समस्त थाना प्रभारियों के वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने के क्रम में दोनों परिक्षेत्रों के दिशा-निर्देश क्रमशः दिनांक:19/01/2016 तथा दिनांकः 25/04/2016 को निर्गत किये गये है।(संलग्न छायाप्रति)

बिन्दु संख्याः 02- राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में उपलब्ध वर्ष 2015 व 2016 की सूचना निम्नवत हैः-

Year	Cases Register under Juvenile Justice Act
2015	02-Cases
2016	05-Cases

यदि आप उक्त सूचना से संतुष्ट नही हो, तो विभागीय अपीलीय अधिकारी/ पुलिस महानिरीक्षक(अप0/का0व्य0), पुलिस मुख्यालय, 12-सुभाष रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सकते है।

संलग्नः-यथोपरि।

19/7/17

(एन0 एस0 नपलच्याल)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण),
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

PIO-RR-757
18/7/17

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड देहरादून

संख्याः DG-WSHL-15(11)/2017 दिनांक, 18 जुलाई, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या : पु0मु0/लो0सू0–217/2017 दिनॉक 14.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **सूचना का अधिकार अधि0 2005** के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता shri Sushil Kambampati के अनुरोध पत्र से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। बिन्दुवार सूचना निम्नवत हैः–

बिन्दु संख्या– 1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act -2015" की धारा 77 का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समस्त थाना प्रभारियों को वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने के कम में दोनों परिक्षेत्रों को दिशा–निर्देश कमशः दिनांक 19.01.2016 तथा दिनांक 25.04.2016 को निर्गत किये गये है। **(छायाप्रति संलग्न)**

बिन्दु संख्या– 2 के सम्बन्ध में सूचना इस कार्यालय में धारित नही हैं। अतः समस्त जनपदों से सूचना प्राप्त किया जाना समीचीन होगा।

संलग्नकः यथोपरि।

(शाहजहाँ जावेद खान)
अपर पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय
देहरादून।
दिनांकः 18.07.2017

प्रभारी सूचना सैल/पु०मु०

लोक सूचना अधिकारी
उ०पु०मु० 18/7/17

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड देहरादून

संख्याः डीजी–म0सु0हे0ला0–23 / 2015 दिनांकः जनवरी, 19 2016

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक,
पुलिस अधीक्षक रेलवे

कृपया दिनांक 14.01.2016 को **POCSO ACT, 2012** के प्रभावी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के परिपेक्ष्य में अधिनियम के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता उत्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित विषयवस्तु प्रेषित की जा रही है :–

1.MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)_द्वारा जारी संशोधित _"THE JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT,2015 No. 2 OF 2016" दिनांकित एवं अंगीकृत 31.12.2015 की प्रति।

2.NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS द्वारा जारी पौक्सौ अधिनियम से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी की प्रति।

3. "THE JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT,2000_ की प्रति।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अनुपालन आख्या से इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

19/1

(पुष्पक ज्योति)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,अप0एवंका0व्य0
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय
देहरादून

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

19-1-16

<u>महत्वपूर्ण / फैक्स द्वारा</u>

कार्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड देहरादून

संख्याः **DG-SWSHL-25/2016** दिनांकः अप्रैल, 25 2016

सेवा में,

1.पुलिस महानिरीक्षक,
गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून।
2.पुलिस उपमहानिरीक्षक,
कुमांऊ परिक्षेत्र, नैनीताल।

विषयः Juvenile Justice (Care & Protection Of Children) ACT, 2015 की धारा 77 के तहत बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों के सेवन के प्रति जागरूकता एवं सवेदनशीलता बढाये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रीमती मेनका गाँधी के पत्र दिनांकित 08.04.2016 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से Juvenile Justice (Care & Protection Of Children) ACT, 2015 की धारा 77 के तहत बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों के सेवन के प्रति जागरूकता एवं सवेदनशीलता बढाये जाने के सम्बन्ध में सुझाये गये छः बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित छः बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपराध गोष्ठी में समस्त थाना प्रभारियों को व्यक्तिगत रूप से ब्रीफ करते हुये उचित वैधानिक कार्यवाही कर अनुपालन आख्या से दिनांक 28.04.2016 को प्रातः 10:00 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

25 4 16

(पुष्पक ज्योति)
पुलिस उप महानिरीक्षक,
अपराध एवं कानून व्यवस्था,
उत्तराखण्ड।

O/C
Brault SI
25/4/16